न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4470/2003/जोधपुर

1– हरिया पुत्र गुमनाराम जाति पटेल निवासी ग्राम डोली तहसील लुनी जिला जोधपुर के कायम मुकाम –
1/1. गंगादेवी पत्नि हरजी
1/2. खीयाराम पुत्र हरजी,
1/3. सावलराम पुत्र हरजी,
1/4. जस्साराम पुत्र हरजी,
1/5. पोलाराम पुत्र हरजी,
1/6. पुरखाराम पुत्र हरजी,
1/7. जुगताराम पुत्र हरजी सभी जाति पटेल सभी निवासी ग्राम डोली तहसील लुनी जिला जोधपुर राज0 ।

..... वादी

बनाम

1– कल्याणसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खुडाला तहसील लुनी जिला जोधपुर के कायम मुकाम –
1/1. विजयसिंह पुत्र कल्याणसिंह,
1/2. रावत सिंह पुत्र कल्याणसिंह,
1/3. भैरूसिंह पुत्र कल्याणसिंह,
1/4. हरनाथसिंह पुत्र कल्याणसिंह,
1/5. मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह के कायम मुकाम –
1/5/1. रूपकंवर पत्नि मानसिंह,
1/5/2. छेलसिंह पुत्र मानसिंह,
1/5/2. माधोसिंह पुत्र मानसिंह सभी जाति राजपूत निवासी खुडाला तहसील लुनी जिला जोधपुर राज0।
..... प्रतिवादी सं0 1

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लुनी, जिला जोधपुर।
..... प्रतिवादी सं0 2

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री ओंकारलाल दवे, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांक :30.10.2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–08–2003 अपील सं0 30/2003 बउनवान कल्याणसिंह बनाम हरिया के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रशि0) जोधपुर के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 183 एवं 92 ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम धवा तहसील जोधपुर में मुझ वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी की जमीन है जो ख0 नं0 186 रकबा 178 बीघा 18 बिस्वा भूमि आयी हुई है जो मुझ वादी हरिया एवं प्रतिवादी कल्याणसिंह की निस्फ–निस्फ है। उक्त आराजी बोई हुई नहीं है तथा दोनों के शामलाती है जिसे बरवक्त काश्त तन्हा रहता है। इसलिए बंटवारा किया जावें। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादी के कथनों से इन्कार किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम करते हुए दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण को सुनकर दिनांक 5–6–2003 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जिस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलीय न्यायालय में अपीलांट कल्याणसिंह की ओर से अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्षकारान को सुनकर दिनांक 30–8–2003 को अपील अपीलांट स्वीकार कर ली व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–4–2003 अपास्त कर दिया जिस निर्णय दिनांक 30–8–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायालय का यह कथन कि वादी ने दावा प्रस्तुत करते समय जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा इस दस्तावेज को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है? पूर्ण रूप से गलत व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत है। पीडब्ल्यू.–1 हरिया ने दावे के साथ जमाबन्दी प्रदर्श–1 प्रस्तुत की अपने बयानों में भी इस जमाबन्दी को बखूबी साबित किया। कल्याणसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगान अदा किये जाने से संबंधित कोई भी लगान की रसीदें पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध ढांल बाछ प्रदर्श–6 से प्रदर्श–15 स्वयं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें लगान वादी हरिया द्वारा दिया जाना बखूबी साबित है। अपीलीय न्यायालय ने स्वयं प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में

वादी के 1/2 हिस्से को स्वीकार करने उसका 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में बखूबी साबित दर्ज होने से खसरा गिरदावरी प्रदर्श–3 से प्रदर्श–10 से वादी का 1/2 हिस्सा साबित है। अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के बाध्यकारी प्रावधानों की भी जानबूझकर अवहेलना की है। हस्तगत प्रकरण में स्वयं रेस्पो0/ प्रतिवादी कल्याणसिंह ने अपने जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि वादी हरिया ने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से मिलकर धोखे व फरेब से अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया। मौजूदा प्रकरण में वादी हरिया एक रेकार्डेड को–टिनेन्ट था व है। उसे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र रेकार्डेड को–टिनेन्ट होना साबित करना था जिसको उसने बखूबी साबित किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 15 के आधार पर मौजूदा प्रकरण में रेस्पो0 के पक्ष में खातेदारी देने में भी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत सभी दस्तावेजी व जुबानी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन के विधिवत् निर्णय पारित किया है। हर दस्तावेज व न्यायिक निर्णयों का तुलनात्मक रूप से विवादित बिन्दुओं के सन्दर्भ में विवेचन कर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष जितने भी न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये थे उनको अपीलीय न्यायालय ने पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया है। अपीलांट विवादित भूमि के आधे हिस्से पर विधिवत् व वास्तविक रूप से काबिज है तथा सम्पूर्ण राजस्व रेकार्ड में वे बतौर सह हिस्सेदार दर्ज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाकर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावें।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी रेस्पो0 के पिता कल्याणसिंह के नाम थी। कल्याणसिंह ने जागीरदारों को लगान अदा किया था व राज्य सरकार को भी लगान अदा किया। जागीरदार द्वारा लगान लेने सबंधी रसीदें अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावे के साथ पेश की गयी हैं। हरिया स्वयं ने कहा कि रसीदें मेरे पास नहीं है, लगान कल्याणसिंह को देता था और कल्याणसिंह लगान जागीरदार को देते थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व ही खातेदार के रूप में कल्याणसिंह का कब्जा था। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होते ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत विवादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे के कल्याणसिंह खातेदार काश्तकार हो गये।

हरिया वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार के रूप में कभी भी काबिज नहीं था। अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित व कानून सम्मत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन किया ।

7- प्रश्नगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23-4-2003 में माना कि तनकियात के विवेचन के अनुसार तनकी सं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है तथा तनकी सं0 1-ए. व 1-बी. का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया गया है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादीगण बाबत बंटवारा डिक्री करते हुए खेत ख0 नं0 186 रकबा 178 बीघा 18 बिस्वा मौजा गांव धवा में आधा हिस्सा वादीगण का मानते हुए, वादीगण का आधा हिस्सा मीट्स एवं बाउन्ड्स बंटवारा के जरिये अलग किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा लगान के बंटवारे का भी आदेश दिया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30-8-2003 में अंकित किया है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलांट्गण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए अपीलांट्गण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23-4-2003 अपास्त कर मौजा धवा तहसील लूणी में स्थित खेत ख0 नं0 186 रकबा 178 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रेस्पोडेन्ट्गण का राजस्व रेकार्ड से नाम हटाने के आदेश दिये जाते है।।

8- पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर विदित होता है कि खसरा गिरदावरी ग्राम धवा-ा तहसील जोधपुर सम्वत् 2022 से 2025 खसरा नं0 186 रकबा 178 बीघा 17 बिस्वा कल्याणसिंह पुत्र रूगनाथ सिंह राजपूत खड़का, हरिया पुत्र गुमना कौम पटेल सा0डोली काश्त बाजरा, मूंग, ग्वार, ज्वार दर्ज है। इसी प्रकार का अंकन सम्वत् 2026 से 29, 2030 से 33, 2034 से 37, 2038 से 2043, 2043 से 46, 2018 से 29, 2013 व 2014 में दर्ज है। परचा दिनांक 31-8-1952 में कल्याणसिंह वल्द रूगनाथसिंह 1/2 तथा हरिया वल्द गुमना कौम पटेल दर्ज है। खसरा नं0 186 रकबा 178 बीघा 17 बिस्वा खसरा गिरदावरी सम्वत्

2015–2017 में ख0 नं0 186 रकबा 178 बीघा 18 बिस्वा में कल्याणसिंह वल्द रूगनाथसिंह, हरिया वल्द गुमना दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–2021, 2019–2022 में भी यही अंकन है। जागीर ढांल–बांछ सम्वत् 2013 कल्याणसिंह वल्द रूगनाथसिंह, हरिया वल्द गुमना दर्ज है। ढांल–बांछ सम्वत् 2004, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 में दर्ज है जिसमें वादी 1/2 हिस्से का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा एडवर्श पजेशन को साबित नहीं किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा ढांल–बांछ, गवाहों की साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी का एडवर्श पजेशन गलत माना गया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 5–10–98 व 2–7–99 की है। मौका रिपोर्ट दिनांक 5–10–98 विश्वसनीय नहीं कहीं जा सकती है क्योंकि वादी के हस्ताक्षर नहीं है तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 2–7–99 भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि अल–अलग स्याही से अलग–अलग अंकन किया गया है जिस पर भी वादीगण को कोई नोटिस देना जाहिर नहीं होता है तथा वादी के हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रकरण में स्वयं रेस्पो0/प्रतिवादी कल्याणसिंह ने अपने जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि वादी हरिया ने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से मिलकर धोखे व फरेब से अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया। पर्चा लगान प्रदर्श–11, मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श–12 से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त अधिकारियों ने विधिवत् तत्कालीन समय में यानि सम्वत् 2008 में मौके पर विधिवत् रूप से काबिज व्यक्ति हरिया का कब्जा व हक होने के आधार पर ग्राम के पटवारी व अन्य अधिकारियों से जांच रिपोर्ट के आधार पर हरिया का नाम राजस्व रेकार्ड में अकित किया तद्उपरान्त सम्वत् 2008 से लगातार करीब 68 वर्ष तक अपीलांट हरिया व उनके कायम मुकाम का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होता आ रहा है। प्रकरण में वादी हरिया एक रेकार्डेड को–टिनेन्ट है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र रेकार्डेड कोटिनेन्ट होना साबित करना था जिसको अपीलांट ने बखूबी साबित किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी हरिया का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा व हक नहीं होने के आधार पर उसके पक्ष में जो खातेदारी के इन्द्राज हुए हैं, उन्हें गलत मानते हुए रेस्पो0 कल्याणसिंह के कायम मुकाम के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान करने का निर्णय किया है। दूसरी तरफ विचारण न्यायालय ने पूर्ण रूप से इसके विपरीत वादी हरिया का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा व हक मानते हुए प्रतिवादी कल्याणसिंह

अथवा उनके कायम मुकाम का कब्जा मुखालफाना के आधार पर उनके हक में खातेदारी दी हैं। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत सभी दस्तावेजी एवं जुबानी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर विधिवत् निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय ने अग्राह्य साक्ष्य, तथाकथित मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया था जबकि उन्हें इस पर न तो प्रतिपरीक्षण किया न ही साक्ष्य में साबित किया गया। इन सब तथ्यों को अपीलीय न्यायालय ने नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है जो काबिज खारिज योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्धान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–8–2003 निरस्त किया जाकर एवं सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रशि0) जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–04–2003 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य